दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 23.01.2024

आ.प्र.अ.(वाणि.) 40/2023 और सि.वि. सं7329/2023,7330/2023 और 7331/2023

मेसर्स एक्सोटिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री नित्यानंद सिंह और सुश्री आचल,अधिवक्तागण

बनाम

मेसर्स मेडोर्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड अपने निदेशक श्री आर.सी. शर्मा द्वारा

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बखरु
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

विभू बखरु, न्या. (*मौखिक*)

1. अपीलार्थी ने माध्यास्थम सं.644/2018 में विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश दिनांक 21.12.2021 (इसके पश्चात 'आक्षेपित आदेश') को आक्षेप करते हुए वर्तमान अपील दायर की है जिसका शीर्षक **मेसर्स एक्सोटिक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स मेडोर्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है,** जिसके तहत माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके पश्चात **'ए एंड सी अधिनियम')** की धारा 34 के तहत अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 07.02.2018 के एक माध्यस्थम पंचाट (इसके पश्चात **'माध्यस्थम पंचाट'**) को आक्षेप करता है, काफी हद तक खारिज कर दिया गया था।

2. आक्षेपित आदेश इंगित करता है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उचित रूप से स्वीकार किया था कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 का दायरा सीमित था और माध्यस्थम द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों पर हमला नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थी ने अपनी चुनौती को दो मोर्चों पर माध्यस्थम पंचाट तक सीमित कर दिया था। पहला, कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात **'कंपनी अधिनियम'**) की धारा 248(5) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) द्वारा पारित दिनांक 30.06.2017 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटा दिया गया था। और दूसरा, प्रदान की गई राशि में एक गणना त्रुटि थी। माध्यस्थम अधिकरण ने प्रत्यर्थी के पक्ष में 39,26,242/- रुपए की राशि का निर्णय सुनाया था। हालाँकि, अपीलार्थी के अनुसार, सही गणना की गई राशि 37,51,579/- रुपए है।

3. विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय ने अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि माध्यस्थम पंचाट को इस आधार पर अलग करने की आवश्यकता थी कि कंपनियों के रजिस्टर से प्रत्यर्थी का नाम हटाने के लिए आर.ओ.सी. द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी। विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने कंपनी अधिनियम की धारा 250 का उल्लेख किया था और ध्यान दिया था कि प्रत्यर्थी कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र को कंपनी अधिनियम की धारा 248 (5) के तहत नोटिस में उल्लिखित तिथि से रद्द माना जाएगा, सिवाय कंपनी को देय राशि की वसूली और/या अपने दायित्वों के निर्वहन के भुगतान के उद्देश्य से। इस प्रकार, प्रत्यर्थी को देय राशि की वसूली की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

4. जहाँ तक गणना त्रुटि का संबंध है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया था। तदनुसार, 39,26,242/- रुपए की राशि का माध्यस्थम पंचाट

37,51,579/- रुपए तक सीमित था और उक्त राशि से अधिक प्रदान की गई राशि की सीमा को अपास्त कर दिया गया था।

5. अपीलार्थी ने वर्तमान अपील को माध्यस्थम पंचाट और आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती देने तक सीमित कर दिया है कि प्रत्यर्थी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया था।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी पर यह निर्भर था कि वह कंपनियों के रजिस्टर पर अपना नाम बहाल करने के लिए कदम उठाए और उसके पश्चात, माध्यस्थम कार्यवाही के साथ आगे बढ़े।

7. इस तर्क में योग्यता है कि एक बार कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटा दिए जाने के बाद, कंपनी को अपने दावों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बहाली के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हम यह प्रतिग्रहण करने में असमर्थ हैं कि माध्यस्थम पंचाट को उक्त आधार पर अपास्त किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय द्वारा 13.07.2015 को पक्षकारों को माध्यस्थम के लिए भेजा गया था। दावों का विवरण सितंबर, 2015 में दायर किया गया था, जो 30.06.2017 से पहले का है।

8. यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि भौतिक समय के दौरान, बड़ी संख्या में कंपनियां, जिन्होंने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया था, उन्हें कंपनी अधिनियम के रजिस्टर के अभिलेख से हटा दिया गया था। 30.06.2017 दिनांकित अधिसूचना, जिस पर अपीलार्थी भरोसा करता है, यह भी इंगित करती है कि 22864 कंपनियों को हटा दिया गया था।

9. प्रत्यर्थी कंपनी और उसके निदेशकों को कंपनी अधिनियम के तहत वैधानिक अनुपालन को पूरा करने के बाद कंपनी के नाम की बहाली की मांग करने का अधिकार है।

10. *वैल्यू एडवाइजरी सर्विसेज बनाम जेड.टी.ई. कॉर्पोरेशन* में, इस न्यायालय ने माध्यस्थम पंचाट को लागू करने की आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि माध्यस्थम कार्यवाही शुरू होने के बाद पंचाट धारक का नाम कंपनी रजिस्टर से हटा दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने माध्यस्थम में अपने दावों को आगे बढ़ाया था। याचिकाकर्ता ने माध्यस्थम पंचाट दिए जाने के बाद कंपनियों के रजिस्टर में अपना नाम बहाल करने के लिए एक याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह प्रतिग्रहण करने में असमर्थ हैं कि माध्यस्थम पंचाट में कोई भी हस्तक्षेप उक्त आधार पर और इस स्तर पर आवश्यक होगा।

12. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि माध्यस्थम पंचाट महत्वपूर्ण तथ्यों के दमन के आधार पर अपास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है। हम उक्त तर्क को प्रतिग्रहण करने के लिए राजी नहीं हैं।

13. तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है। लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

विभू बखरु, न्या.

तारा वितस्ता गंजू, न्या.

23 जनवरी, 2024

आरके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*